

भार्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 12

22 जून से 6 जुलाई 2026

मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष

कुल पृष्ठ : 8

मूल्य : 4 रुपये पृष्ठ 1

समस्याओं से पहले से ही परेशान लोगों पर डाला रसोई गैस की दाम बढ़ोतरी का नया बोझ

एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 7 जून को जारी एक बयान में कहा: “गैस की कीमतों में 29 रुपये की वृद्धि का विरोध करते हुए अनियंत्रित महंगाई, लगातार बढ़ती बेरोजगारी और अंधाधुंध छंटनी के हमले के दौरान जब जनजीवन घोर संकट में है, तो रसोई गैस के दामों

में की गयी वृद्धि एक और जबरदस्त हमला है। इस तरह भाजपा-नीत सरकार पांच राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के बाद देश की जनता को एक के बाद एक ‘तोहफा’ ऐसा दे रही है। हम इसका कड़ा विरोध जताते हैं और लोगों से इसके खिलाफ मिलजुलकर जोरदार आंदोलन खड़ा करने का आह्वान करते हैं।”



पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस और दूध सहित दैनिक उपयोग की चीजों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एसयूसीआई (सी) के आह्वान पर आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में विरोध प्रदर्शन। 31 मई

विभिन्न राज्यों में एकतरफा समान नागरिक संहिता अपनाये जाने पर एसयूसीआई(सी) ने जतायी गहरी चिंता, इसे तत्काल वापस लेने की उठायी मांग

तथाकथित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर किसी भी प्रकार की सर्वसम्मति की पूर्ण अवहेलना करते हुए भाजपा-आरएसएस राज्य सरकारों के आदेश पर विभिन्न राज्य विधानसभाओं में इसे पारित किये जाने का कड़ा विरोध करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 9 जून को जारी एक बयान में कहा: “हम आरएसएस-भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात, उत्तराखंड और असम सरकारों द्वारा राज्य विधानसभाओं में “एक राष्ट्र, एक भाषा और एक कानून” के बहाने तथाकथित समान नागरिक संहिता को अपनाने के फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। वस्तुनिष्ठ सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकता को ध्यान में रखे बिना और इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी राष्ट्रीय सहमति बनाने की अनिवार्यता की पूर्ण अवहेलना करते हुए एक विवादास्पद कानून पारित करने का यह एकतरफा कदम लोकतांत्रिक संहिता, मानदंड व प्रथा के खिलाफ है।

यह याद रखना चाहिए कि निश्चित सामाजिक-राजनीतिक

कारणों से भारतीय समाज के जनवादीकरण का कार्य चूँकि अधूरा रहा, इसलिए भारतीयों के विभिन्न समुदायों के सामाजिक रीति-रिवाजों, विवाह और विरासत कानूनों, धार्मिक समारोहों के पालन, खानपान की आदतों, जीवन शैली आदि में विविधता बनी रही। हालांकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस के समझौतावादी बुर्जुआ के नेतृत्व में आजादी आन्दोलन के दौरान राजनीतिक रूप से तो भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यह धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि में बंटा रहा। इसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भी समान नागरिक संहिता अपनाने से सावधानीपूर्वक परहेज किया। उन्होंने कहा कि इस समय राष्ट्रीय एकता और लोगों में तालमेल को मजबूत करने के लिए आधार तैयार किये बिना संविधान में इस तरह के महत्वपूर्ण प्रावधान को जल्दबाजी में शामिल करना एक पलटवार साबित हो सकता है और इस तरह के कानून के उद्देश्य को विफल कर सकता है। बाद में, 21वें विधि आयोग ने भी

➡ (शेष पृष्ठ 4 पर)

क्या अमेरिकी निर्देश के आगे नतमस्तक है भारत?

हाल के दिनों में घटी कई घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत अमेरिकी निर्देशों के आगे चुपचाप घुटने टेकता जा रहा है। इसकी शुरुआत पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मुख्यालय) के समर्थन से जायोनी इजरायल द्वारा गजा में बच्चों समेत बेगुनाह नागरिकों के बेरहम कत्लेआम पर पूरी तरह चुप्पी साधने से होती है। भारत ने फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायली फौज की इस दरिंदगी को नजरअंदाज करते हुए इजरायली हुक्मरानों से हाथ मिला लिया। इसके बाद, जब अमेरिकी सांसदों ने नए एच-1बी वीजा पर तीन साल की रोक लगा दी और सालाना कोटे की सीमा 65,000 (उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त 20,000 के साथ) से घटाकर महज 25,000 कर दी, जिससे अमेरिका में मौजूद भारतीय इंजीनियरों और छात्रों का करियर दांव पर लग गया, तब भी भारत की प्रतिक्रिया बेहद ढीली रही।

हद तो तब हो गई, जब गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के आरोपी भारतीयों को अपराधियों की तरह जंजीरों में जकड़कर वापस भारत भेजा गया और भारत ने इसका कड़ा विरोध करने के बजाय इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। यही नहीं, पहलगाम में

आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चले सैन्य टकराव को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौता कराया; भारत ने इस दावे का सीधा खंडन करने के बजाय इसे एक तरह से मान ही लिया। अमेरिका के कहने पर अपनी द्विपक्षीय व्यापार नीतियों को बदलना हो या रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदना बंद करने का अमेरिकी हुक्म मानना हो, भारत हर जगह पीछे हट गया।

ईरान के खिलाफ अमेरिकी साम्राज्यवाद के आक्रामक युद्ध पर चुप रहना और अमेरिकी शासकों के दबाव में आकर ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अपना कामकाज समेटना—ये सभी बातें इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि भारत के बड़े पूंजीपति (इजारेदार) और उनकी सेवा में लगी भाजपा सरकार न केवल अमेरिकी साम्राज्यवाद की तरफ झुक रही है, बल्कि उनके इशारों पर नाच रही है। उन्हें देश की प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और भारतीय जनता के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की गौरवशाली परंपरा की कोई परवाह नहीं है। आइए, ऊपर उठाये गए इन मुद्दों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं।

जायोनी इजरायल के साथ धिनौनी दोस्ती

पूरी दुनिया ने एक सुर में जायोनी इजरायली शासकों और उनके राजनीतिक मैनेजर प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा पिछले तीन सालों से गजा में की जा रही क्रूरतम गोलाबारी की निंदा की है, जिसमें बेगुनाह लोग अंधाधुंध मारे जा रहे हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 80,000 से ज्यादा बतायी जा रही है। फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के राहत शिविरों, अस्पतालों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों समेत पूरा बुनियादी ढांचा मलबे में तब्दील कर दिया गया है। यहां तक कि राहत शिविरों में एक-एक निवाले के लिए जुटे भूखे बच्चों पर भी गोलियां चलायी गईं। आज गजा पट्टी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत “अपराधों का महा-अपराध” (क्राइम ऑफ क्राइम्स) कहे जाने वाले इस कृत्य का भुक्तभोगी केन्द्र बन चुकी है।

लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध अपराधों के इस घटिया दौर को जारी रखे हुए हैं। वह खुद इस समय इजराइल में तीन अलग-अलग मामलों में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी व विश्वासघात

➡ (शेष पृष्ठ 2 पर)

लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही केन्द्र की भाजपा सरकार

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का पेपर लीक, केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी में घोर अनियमितता और सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ियां उजागर हुई हैं, उससे केन्द्र की भाजपा सरकार का शिक्षा को बर्बाद करने वाला रवैया एक बार फिर साफ जाहिर हो गया है।

13 मई को सीबीएसई बोर्ड के 12वीं कक्षा के नतीजे आने के बाद देखा गया कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से अनेक छात्रों को कई विषयों में शून्य या बहुत ही कम

अंक मिले। नतीजतन, मूल्यांकन प्रणाली को लेकर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षाप्रेमियों में उभरे बड़े पैमाने पर असंतोष को शांत करने के लिए सीबीएसई अधिकारियों ने घोषणा की कि परीक्षार्थियों के आवेदन पर क्रमांक के आधार पर स्कैन किया गया उत्तर-पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर होती रहीं। 19 मई को दिल्ली के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने भौतिकी का उत्तर-पत्र देखने के लिए आवेदन किया। 23 मई को जब सीबीएसई ने वेदांत का उत्तर-पत्र अपलोड किया, तो उसे

देखकर वेदांत के होश उड़ गये। उसने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मैं लूट गया। सीबीएसई द्वारा अपलोड किया गया उत्तर-पत्र मेरा नहीं है।’ यह शिकायत करने पर भाजपा के करीबियों ने सोशल मीडिया पर उसे ‘पाकिस्तानी’ तक कह दिया। हालांकि बाद में सीबीएसई ने माना कि यह सीबीएसई की ही गलती थी। यह शिकायत अकेले वेदांत की नहीं है, ऐसी कई और शिकायतें अब सामने आ रही हैं। छात्रों द्वारा उत्तर-पत्र देखने के लिए आवेदन करने पर सीबीएसई बोर्ड ने जो उत्तर-पत्र अपलोड किया, देखा गया कि

उत्तर-पत्र का स्कैन धुंधला है और हैंडराइटिंग साफ नहीं है। सही से स्कैन न होने की वजह से उत्तर-पत्र के कई हिस्से स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। कई मामलों में, सिस्टम ने सवालों के लिए कोई नंबर ही नहीं दिया। कंप्यूटर पर जो जवाब दिये गये हैं, उससे थोड़ा-सा भी अलग लिखने पर उन्हें शून्य दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूरी मूल्यांकन प्रणाली ओएसएम या ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के आधार पर संपन्न हुई है, तो सही से स्कैन न किये गये उत्तर-पत्र के आधार पर किसी परीक्षार्थी का सही मूल्यांकन

कैसे हो सकता है? हाल ही में शुरू हुए ओएसएम प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

यह ओएसएम प्रणाली आखिर है क्या? छात्र परीक्षा हॉल में बैठकर कागज-कलम लेकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में सवालों का जवाब लिखते हैं। सीबीएसई बोर्ड उन उत्तर पुस्तिकाओं को ‘क्वेस्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड’ नामक संस्था को दे देती है। संस्था उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल शकल देती है। फिर उन उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षकों को डिजिटली

➡ (शेष पृष्ठ 6 पर)

अमेरिकी निर्देश के आगे ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

के आरोपों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। इसके अलावा, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने गजा में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने भी हाल ही में गजा पट्टी में इजरायल के युद्ध के तौर-तरीकों को “नरसंहार के समान” पाया है।

लेकिन इस क्रूरता के खिलाफ एक शब्द भी बोलने के बजाय, पीएम मोदी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दस्तखत करने के लिए इजरायल चले गए। उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं हुआ कि “भारत में इजरायल के संकल्प, साहस और उपलब्धियों की बड़ी सराहना होती है।” उन्होंने आगे कहा: “हम आपका दर्द महसूस करते हैं। हम आपके दुख में शरीक हैं। भारत इस मुश्किल घड़ी में और इसके बाद भी पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ इजरायल के साथ खड़ा है। ... कोई भी वजह आम नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। आतंकवाद को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता।” इसके बाद फिर 25 फरवरी 2026 को इजरायली संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजरायल में रहने वाले भारतीय यहूदी समुदाय के लिए इजरायल उनकी “पितृभूमि” (फादरलैण्ड) है और भारत उनकी “मातृभूमि” (मदरलैण्ड) है। इसे खुली चापलूसी के अलावा और क्या कहा जा सकता है? क्या यह सब भारत के बड़े पूंजीपतियों के वर्गीय हितों के लिए जायोनी इजरायल के आका यानी अमेरिकी साम्राज्यवाद को खुश करने के लिए किया जा रहा है?

एच-1बी वीजा का मुद्दा

पिछले साल अमेरिका ने नए एच-1बी वीजा (एक गैर-आप्रवासी वीजा, जो अमेरिकी कंपनियों को तकनीकी विशेषज्ञता वाले विदेशी पेशेवरों को अस्थायी रूप से नौकरी पर रखने की इजाजत देता है) के आवेदन की फीस बढ़ाकर सीधे 100,000 डॉलर (एक लाख डॉलर) कर दी, जिसका सीधा निशाना नए आवेदक थे। यह एच-1बी वीजा पर रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कुल वीजा धारकों में आज भी 70% से ज्यादा भारतीय हैं। इस नीति ने उस एच-1बी रास्ते को लगभग बंद कर दिया, जिसने तीन दशकों तक लाखों भारतीयों के ‘अमेरिकी सपने’ को पूरा किया और अमेरिकी उद्योगों को बेहतरीन टैलेंट की सप्लाई दी। यह भारत को अपने दबाव में रखने की एक चाल (आर्म-ट्विस्टिंग) भी है। लेकिन एक बार फिर भारतीय पूंजीवादी सरकार ने यह कहने के अलावा कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई कि “उम्मीद है अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को ठीक से सुलझाएगी।”

यहां याद दिलाना जरूरी है कि 2025 की शुरुआत में अमेरिका से कथित तौर पर गैर-कानूनी भारतीय प्रवासियों को बड़े पैमाने पर वापस भेजने (डिपोर्ट करने) की घटना ने भारतीय लोगों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया था। उस समय ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे, जिनमें इन भारतीयों को 40 घंटे लंबे सफर के दौरान हथकड़ियों और बेडियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था। डिपोर्ट किये गए भारतीयों के साथ हुए इस अमानवीय बर्ताव का विरोध करने के बजाय भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस प्रक्रिया को एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताकर इसका बचाव किया। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में यह भी जोड़ दिया कि भारतीय सरकार अमेरिका से बात करेगी ताकि डिपोर्ट किये जाने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव न हो। यहां फिर से वही गुलाम मानसिकता दिखाई देती है, जहां देशवासियों

के अपमान की कीमत पर भी अमेरिका को खुश रखने की कोशिश की जा रही है।

भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने के अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर चुप्पी

किसी भी मुद्दे पर अमेरिका का खंडन करने में भारत की हिचकिचाहट का एक और उदाहरण अप्रैल 2025 में पहलगाम के बैसरन में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद हुए युद्धविराम का मामला है। आज तक राष्ट्रपति ट्रंप 50 से ज्यादा बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराया। उनका कहना है कि उन्होंने संभावित परमाणु युद्ध को रोकने के लिए आर्थिक दबाव और टैरिफ (सीमा शुल्क) की धमकियों का इस्तेमाल किया। भारत ने इन दावों का खुलकर खंडन करने के बजाय केवल औपचारिक रूप से यही कहा है कि हमारी सैन्य कार्रवाई अपने लक्ष्यों को पूरा करने और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) के अनुरोध के बाद रुकी, जिन्होंने “राहत की गुहार” लगायी थी।

भारत को दबाकर रखने के लिए टैरिफ को हथियार बनाना

अब तक भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात लगभग 129 बिलियन डॉलर (129 अरब डॉलर) था, जबकि अमेरिका से भारत आने वाला आयात 83.4 बिलियन डॉलर था। भारत अब तक अमेरिकी सामानों पर औसतन 17% और कृषि उत्पादों पर 39% टैरिफ रेट लगाता था। दूसरी तरफ, अमेरिका भारतीय सामानों पर सिर्फ 3.3% ड्यूटी लगा रहा था। लेकिन अचानक भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने के बहाने अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% का जवाबी टैरिफ लगा दिया। इसके बाद, भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के कारण 25% का अतिरिक्त टैक्स भी लगा दिया गया। इस कदम से भारत अचानक ऐसे हाल में पकड़ा गया, जिसके लिए वह तैयार न था और प्रधानमंत्री मोदी और उनके दो कैबिनेट मंत्रियों ने अपने “दोस्त” ट्रंप को इस बढ़े हुए टैरिफ को वापस लेने के लिए मनाने के वास्ते ताबड़तोड़ बैठकें शुरू कर दीं। भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना बंद करने और इसके बदले अमेरिका से बहुत महंगे दाम पर तेल खरीदने का वादा किया। भारत ने अगले पांच सालों में लगभग 500 बिलियन डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने और भारतीय बाजार को डेयरी उत्पादों सहित अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोलने का भी वादा किया, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। अमेरिकी शर्तों के आगे इस तरह घुटने टेकने के बाद, अमेरिका टैरिफ दर को 25% से घटाकर 18% (जो पहले के 3% के मुकाबले फिर भी बहुत ज्यादा है) करने और रूसी तेल आयात के कारण लगाये गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को हटाने पर सहमत हुआ। दूसरे शब्दों में, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जबकि अमेरिका को बड़ा फायदा होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी तेल की जगह वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने के आश्वासन के बाद ही उन्होंने भारतीय निर्यात पर लगाये गए टैरिफ में ढील दी। साफ है कि भारत को अमेरिका के हुक्म के आगे झुकना पड़ा और उसकी ज्यादातर शर्तें माननी पड़ीं, जो अपनी आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तय करने की भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी) को छोड़ने के बराबर है।

यह पहली बार नहीं है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भाजपा के नेतृत्व वाली भारत सरकार को अपनी शर्तों पर झुकाया है। मई 2019 में ट्रंप

सरकार द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने से मना करने के बाद भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसका मतलब यह था कि भारत को उस तेल से हाथ धोना पड़ा, जो ईरान से मुफ्त ट्रांसपोर्ट, बीमा और 60 दिनों के क्रेडिट (उधार) जैसी रियायतों के साथ मिल रहा था। भारत ने समझाने की कोशिश की थी कि उसकी कई रिफाइनरियां ईरानी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए ही बनी हैं और वे अचानक इसे बदल नहीं सकतीं। ईरान से सप्लाई रुकने से कीमतों और महंगाई पर असर पड़ेगा। लेकिन इन मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ और भारत को यह कड़वा घूंट पीना ही पड़ा।

अमेरिका-इजरायल द्वारा छेड़े गये ईरान युद्ध पर भारत की शर्मनाक चुप्पी और चाबहार पोर्ट को छोड़ना

प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे से लौटने के महज दो दिन बाद, अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर बिना किसी उकसावे के सैन्य हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ, जब जेनेवा में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी और इसे सकारात्मक माना जा रहा था। हमले के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को उनके दफ्तर में अमेरिकी फौज द्वारा किये गए एक मिसाइल हमले में मार दिया गया। अमेरिका-इजरायल के शुरुआती हवाई हमलों में से एक हमला लड़कियों के स्कूल पर हुआ, जिसमें 150 से 170 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर स्कूली छात्राएं थीं।

लेकिन भारत ने अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों के इस खुले उल्लंघन की निंदा नहीं की, न ही उसने एक संप्रभु (आजाद) देश पर हुए इस साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ एक शब्द कहा—एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के सालों से दोस्ताना रिश्ते थे और जहां से भारत अपनी रिफाइनरियों के अनुकूल होने और बेहतर कीमतों के कारण लगभग 13 से 15% कच्चा तेल आयात कर रहा था। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की निंदा भी सिर्फ इसलिए नहीं की ताकि अमेरिकी साम्राज्यवादी नाराज न हो जाएं।

केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में ईरान का दौरा किया था, अयातुल्ला खामेनेई से मुलाकात की थी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 12 समझौतों (एमओयू) पर दस्तखत किये थे। इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को 10 साल के लिए विकसित करने और चलाने का ठेका एक भारतीय कंपनी ‘इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड’ को देना था। चाबहार बंदरगाह का महत्व सिर्फ भारत और ईरान के बीच के व्यापार तक सीमित नहीं था; यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने वाली एक बेहद जरूरी व्यापारिक जीवन रेखा बनने वाला था। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए कुल मिलाकर लगभग 500 मिलियन डॉलर (47.69 अरब रुपये) के निवेश व कर्ज का वादा किया था।

लेकिन सितंबर 2025 में ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने ईरान से जुड़े प्रतिबंधों में दी गई सभी छूटों को रद्द कर दिया, जिसमें चाबहार भी शामिल था। भारत ने पैरवी की और चाबहार की छूट को 26 अप्रैल 2026 तक बढ़वाया, लेकिन खबरों के मुताबिक इसके बदले वहां अपना कामकाज समेटने का वादा किया। अमेरिकी चेतावनी के बाद—जिसमें कहा गया था कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को प्रतिबंधों के संभावित जोखिमों के प्रति सावधान रहना चाहिए—भाजपा सरकार कथित तौर पर चाबहार में अपनी हिस्सेदारी एक स्थानीय ईरानी संस्था को बेचने की प्रक्रिया में है।

अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे यह बुजदिल आत्मसमर्पण क्यों?

जिस दिन से बड़े पूंजीपतियों के पूरे समर्थन के साथ भाजपा ने केन्द्र की सत्ता संभाली है, अमेरिकी साम्राज्यवाद की तरफ उसका झुकाव साफ तौर पर दिखने लगा है। जैसा कि हमने पहले भी मौकों पर कहा है, भारतीय एकाधिकारी पूंजीपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां लंबे समय से न केवल एशिया में, बल्कि दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों द्वारा भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर होने का बार-बार किया जाने वाला दावा इसी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है।

लेकिन आर्थिक ताकत होने का दावा करने के बावजूद, राजनीतिक रूप से भारत अभी तक वह मान्यता हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए इस महाद्वीप में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन (जो अब एक साम्राज्यवादी महाशक्ति बन चुका है) को पछाड़ने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ हाथ मिलाना उसकी मजबूरी बन गया है। अमेरिकी खेमे का एक भरोसेमंद साझेदार बनने की इस कोशिश में भारत की सरकार हर मामले में अमेरिकी हुक्म के आगे झुकने से जरा भी नहीं हिचकिचा रही है। अमेरिकी शासक चाहते थे कि भारत विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने का काम करे और एक ऐसी जमीन बने, जहां से वे एशिया पर करीब से नजर रख सकें। यही भारत-अमेरिका की इस बहु-प्रचारित दोस्ती और भाजपा सरकार के अमेरिका के प्रति अत्यधिक आदर का असली छिपा हुआ सच है।

इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को खुश करने का रास्ता चुना है, क्योंकि वे उन बड़े भारतीय पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्जदार हैं, जिनके वर्गीय हितों की सेवा के लिए वे समर्पित हैं। अगर मोदी ट्रंप को खुश नहीं करते, तो भारतीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता। उदाहरण के लिए, हीरा अमेरिका को निर्यात किया जाने वाला एक बड़ा आइटम है। अगर अमेरिका हीरे के आयात पर भारी टैरिफ लगा देता, तो प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में केन्द्रित हीरा व्यापारियों को निर्यात के संकट का सामना करना पड़ता। अडानी समूह, जो अंबानी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीब है, ने अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश किया है। यह निवेश परमाणु ऊर्जा, यूटिलिटीज और पूर्वी तट के बंदरगाहों की परियोजनाओं पर केन्द्रित है। हाल ही में अमेरिका ने अडानी के खिलाफ शेयर बाजार में हेरफेर के सारे मामले वापस ले लिये हैं।

टाटा समूह हथियार बनाने में एक बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘लॉकहीड मार्टिन’ के साथ मिलकर काम कर रहा है। टाटा का एक और अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘बोइंग’ के साथ भी साझा उद्यम है ताकि एयरोस्पेस, रक्षा निर्माण और ड्रोन (मानवरहित हवाई वाहनों) के विकास में सहयोग किया जा सके। क्या प्रधानमंत्री मोदी अंबानी-अडानी-टाटा और उनके जैसे लोगों की बात टालने का जोखिम उठा सकते हैं, भले ही इसके लिए भारत की जनता के हितों की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े? इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को एक “महान व्यक्ति” बताते हुए यह भी कह दिया कि वह उनका राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। भले ही इसे एक मजाक कहकर टाल दिया गया हो, लेकिन यह टिप्पणी मोदी को ट्रंप के प्रति वफादार रहने की एक छिपी हुई धमकी के सिवा और कुछ नहीं थी। यही वजह है कि भारतीय शासक वर्ग अमेरिकी साम्राज्यवादी शासन के आगे इस तरह बुजदिल आत्मसमर्पण कर रहा है! □

ईरान के बाद, अब अमेरिकी साम्राज्यवादियों के निशाने पर है क्यूबा

कैरेबियन क्षेत्र में स्थित द्वीपीय देश क्यूबा, जहां मुख्य रूप से समाजवादी व्यवस्था मौजूद है, 1959 में समाजवाद अपनाने के समय से ही अमेरिकी साम्राज्यवादियों की आंखों की किरकरी बना हुआ है। 1959 में पेंटागन समर्थित तानाशाह बतिस्ता शासन को क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद क्यूबा ने समाजवाद का रास्ता अपनाया था।

क्यूबा की क्रांति के दौरान, क्रांति के प्रमुख नेता फिदेल कास्त्रो ने अप्रैल 1959 में घोषणा की थी कि क्रांतिकारी सरकार “क्यूबा को क्यूबाई बना रही है”। उन्होंने कहा कि यह बात पहली नजर में विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन क्यूबा के लोग अपनी ही चीजों को कम महत्व देते थे। उन पर अमेरिकी संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का इतना गहरा प्रभाव था कि उनमें अपने प्रति हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी पैदा हो गई थी।

एक अमेरिकी समाचार प्रस्तोता वॉल्टर क्रॉनकाइट ने बाद में याद करते हुए कहा था: “क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का उदय साम्यवाद को लगभग हमारे दरवाजे तक ले आया था। क्यूबा अमेरिकियों के लिए एक पर्यटन स्थल था। हम उसे लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हिस्सा मानते थे।”

क्यूबा के प्रति अमेरिका की शत्रुता सात दशकों से भी अधिक समय तक बनी रही। पेंटागन के शासकों ने बार-बार क्यूबा पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सैन्य आक्रमण, गुप्त तोड़फोड़, कूटनीतिक अलगाव, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा कठोर आर्थिक प्रतिबंधों जैसे अनेक उपाय अपनाए। लेकिन अब तक ये सभी प्रयास असफल साबित हुए हैं।

क्यूबा का संघर्ष और उसका प्रतिरोध आज भी साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलनों के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक माना जाता है। इसलिए फिदेल कास्त्रो ने सही ही कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ठीक नाक के नीचे समाजवादी क्रांति करने के लिए क्यूबा को अमेरिका कभी शांति से जीने नहीं देगा।

हमले की ट्रम्प की धमकी

अब क्यूबा की समाजवादी व्यवस्था को कुचलने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने क्यूबा के प्रति अपनी आक्रामक नीति को और तेज कर दिया है। उन्होंने आर्थिक युद्ध को और तीव्र बनाकर इस द्वीपीय देश को गंभीर मानवीय संकट की ओर धकेल दिया है। स्पष्ट है कि यह सब अमेरिकी एकाधिकारी पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के अनुरूप किया जा रहा है।

ट्रम्प अब क्यूबा के बारे में वह सावधानीपूर्ण भाषा भी नहीं बोलते, जो लहजा पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति इस्तेमाल किया करते थे। वे खुलेआम दावा करते हैं कि वे “किसी न किसी रूप में क्यूबा पर कब्जा कर सकते हैं” और कहते हैं, “मैं उसके साथ जो चाहूँ, कर सकता हूँ।”

उन्होंने कहा, “ईरान से लौटते समय हमारे बड़े जहाजों में से एक—शायद दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन—वहां आएगा, तट से लगभग 100 गज दूर रुक जाएगा और फिर वे हमसे कहेंगे, ‘बहुत-बहुत धन्यवाद, हम आत्मसमर्पण करते हैं।’”

इस तरह की बातें केवल अतिशयोक्तिपूर्ण बयानबाजी नहीं हैं। वे उस प्रभुत्ववादी राजनीतिक उद्देश्य को उजागर करती हैं, जिसे अमेरिकी शासक हासिल करना चाहते हैं। उनके मन में यह धारणा है कि क्यूबा की संप्रभुता तभी स्वीकार्य है, जब उसे अमेरिका की मंजूरी प्राप्त हो।

अमानवीय आर्थिक नाकेबंदी

इतिहास की निरंतरता को नजरअंदाज करना असंभव है। 1960 में अमेरिकी राजनयिक लेस्टर मैलोरी ने खुलकर कहा था कि क्यूबा के प्रति अमेरिकी नीति का उद्देश्य वहां “भूख, निराशा

और सरकार का तख्तापलट” पैदा करना होना चाहिए। छह दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह रणनीति मूल रूप से नहीं बदली है। साधन और तकनीके भले ही बदल गई हों, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य वही बना हुआ है—अमानवीय तरीकों से सत्ता परिवर्तन कराना।

पिछले वर्ष 29 जनवरी को ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें दावा किया गया था कि क्यूबा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए “एक असामान्य और असाधारण खतरा” है। इस आदेश के तहत उन देशों के सामान पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी, जो क्यूबा को तेल बेचते हैं या उपलब्ध कराते हैं।

यह कदम दिसंबर 2025 में वेनेजुएला का तेल ले जा रहे टैंकरों को जब्त किये जाने तथा 3 जनवरी को एक तेज सैन्य कार्रवाई के जरिये वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण के बाद उठाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में ट्रम्प प्रशासन ने प्रभावी रूप से क्यूबा के चारों ओर तेल की नाकेबंदी खड़ी कर दी है, जिससे उसकी ईंधन आपूर्ति लगभग ठप हो गई है।

अमेरिका ने हवाना के साथ व्यापार करने वाले देशों को धमकियां दी हैं, क्यूबा को तेल उपलब्ध कराने वाले देशों और कंपनियों पर भारी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है, वेनेजुएला से आने वाली तेल खेपों को रोका है और मेक्सिको सहित अन्य क्षेत्रीय देशों पर ईंधन आपूर्ति बंद करने का दबाव डाला है।

ट्रम्प खुलेआम इस नाकेबंदी से पैदा हुई पीड़ा का जश्न मनाते हुए कहते हैं, “न तेल है, न पैसा है, न कुछ और है।”

आर्थिक नाकेबंदी के विनाशकारी परिणाम

2025 में संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में क्यूबा ने बताया कि मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच केवल एक वर्ष में ही अमेरिकी नाकेबंदी के कारण उसे 7.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।

छह दशकों से अधिक समय से जारी नाकेबंदी, सैन्य आक्रमणों के प्रयास, गुप्त तोड़फोड़ और उन कूटनीतिक अलगाव के बावजूद—जो विश्व साम्राज्यवाद-पूंजीवाद के प्रमुख केंद्र द्वारा किये गए—क्यूबा का अस्तित्व और उसका संघर्ष आज भी आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यवाद-विरोधी दास्तानों में से एक है।

इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए क्यूबा ने सर्व जन साक्षरता, व्यापक जनस्वास्थ्य व्यवस्था, उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा ऐसे सामाजिक मानक हासिल किये हैं, जिनकी तुलना कई समृद्ध देशों से की जा सकती है। लेकिन अब ऊर्जा से वंचित करने के सबसे विनाशकारी हथियार के इस्तेमाल के कारण यह द्वीपीय देश गहरे संकट में फंस गया है।

ईंधन तेल की कमी अब केवल ऊर्जा संकट नहीं रह गई है, बल्कि यह खाद्य व्यवस्था का भी संकट बन चुकी है। ऊर्जा की इस अमानवीय नाकेबंदी और तेल-डीजल की कमी ने क्यूबा की पूरी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर दिया है। पर्याप्त ईंधन के बिना खेतों से लोगों की थाली तक भोजन पहुंचाना लगातार कठिन होता जा रहा है, जिससे पूरे देश में खाद्य वस्तुओं की कमी, महंगाई और खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है।

डीजल की कमी के कारण ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई प्रणालियां और परिवहन वाहन उपयोग से बाहर होते जा रहे हैं। किसान अब अधिकाधिक हाथों से काम करने को मजबूर हैं, जिससे उत्पादन की गति बहुत धीमी हो गई है और पैदावार भी घट रही है।

क्यूबा के लास मिनास नगर के किसान ओबिओल्स सोब्रेडो टमाटर, ज्वार और कसावा जैसी फसलें उगाते हैं। पहले जो काम ईंधन तेल की मदद से केवल 15 मिनट में हो जाता था,

वही अब हाथ से करने में तीन दिन लग जाते हैं। इसका सीधा असर उनके समुदाय के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता पर पड़ रहा है।

सोब्रेडो की बकरियों का दूध पहले आसपास के स्कूलों तक पहुंचाया जाता था, लेकिन अब ईंधन तेल की किल्लत के कारण इसकी ढुलाई अनिश्चित हो गयी है और दूध को ठंडा रखने की व्यवस्था भी मुश्किल में पड़ गई है। इससे बच्चों तक पहुंचने से पहले दूध खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

यह संकट एक व्यापक वैश्विक सच्चाई को भी उजागर करता है—खाद्य सुरक्षा एक स्थिर ऊर्जा व्यवस्था पर निर्भर करती है। जब ईंधन तेल आपूर्ति व्यवस्था विफल हो जाती है, तो उसका प्रभाव खेती से लेकर खाद्य वितरण तक हर स्तर पर दिखाई देता है।

इसके अलावा देशभर में अंधकार छा गया है, क्योंकि उसकी बिजली व्यवस्था आयातित ईंधन तेल पर निर्भर है। क्यूबा के डीजल और फ्यूल ऑयल के भंडार लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड “गंभीर” स्थिति में पहुंच गया है।

पिछले दो वर्षों में देश ने 1,300 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, लेकिन ईंधन तेल संकट के कारण बिजली ग्रिड की अस्थिरता से इस क्षमता का बड़ा हिस्सा कारगर ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सौर पैनल लगाये गये हैं, लेकिन रात के समय बिजली आपूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक बैटरियों की भारी कमी है।

राजधानी हवाना में लोग लंबे समय तक चलने वाली बिजली कटौती के विरोध में रात के समय बड़े कूड़ेदानों में आग जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

रसोई गैस की भी भारी कमी है, जिसकी वजह से लोगों को खाना पकाने के लिए लकड़ी के कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन, ट्रैक्टर और कृषि यंत्र अक्सर ईंधन तेल के अभाव में बंद पड़े रहते हैं। स्वच्छता व्यवस्था और जलापूर्ति भी लगातार अस्थिर होती जा रही हैं।

विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्य व्यवस्था संकट में

जैसा कि दुनियाभर के लोग जानते हैं, क्यूबा ने तमाम कठिनाइयों और लगातार खतरों के बावजूद एक उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित की थी। उसने दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा सहयोग कार्यक्रमों में से एक भी खड़ा किया। वहां उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध है।

क्यूबा ने लैटिन अमेरिका की एकमात्र स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन भी विकसित की थी और कैंसर उपचार तथा मेनिन्जाइटिस की रोकथाम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सीय नवाचार किये थे। क्यूबा में प्रति 1,000 नागरिकों पर कम-से-कम 8 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक अनुपातों में से एक है। अमेरिका सहित कोई भी देश ऐसे आंकड़ों का दावा नहीं कर सकता। आज वही प्रसिद्ध स्वास्थ्य व्यवस्था गहरे संकट में पड़ गयी है।

ईंधन तेल की कमी के कारण एम्बुलेंसें खड़ी हो गयी हैं। बिजली की अनियमित आपूर्ति से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे जटिल ऑपरेशन (शल्य-चिकित्सा) करने की क्षमता तथा शीतगृहों में रखी जाने वाली वैक्सीनों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है।

खाद्य परिवहन व्यवस्था भी आंशिक रूप से चरमरा गयी है। बिजली की कमी और रेफ्रिजरेशन व्यवस्था के प्रभावित होने से खाद्य वस्तुओं की कमी और बढ़ गयी है, विशेषकर बढ़ती गर्मी में।

लंबे बिजली कटों के कारण स्कूल-कॉलेजों में कक्षाएं स्थगित करनी पड़ रही हैं। पानी पंप करने वाले स्टेशन बिजली पर निर्भर होने के कारण जल आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है।

हवाना तथा पूर्वी क्यूबा के अनेक इलाकों में लोगों को प्रतिदिन बीस घंटे से अधिक समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण ट्रम्प के कार्यकारी आदेश जारी होने के केवल दो सप्ताह के भीतर ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चेतावनी दी कि क्यूबा में आवश्यक सेवाएं जबरदस्त खतरे में पड़ सकती हैं।

क्यूबा का मानवीय चेहरा

अमेरिकी साम्राज्यवादी आखिर किसे कुचलना चाहते हैं? क्या वह कोई राक्षस है, जैसा वे दावा करते हैं, या फिर वह ऐसा देश है, जिसकी दुनियाभर के पीड़ित और वंचित लोग खुले दिल से प्रशंसा करते हैं?

ग्वाटेमाला के शोधकर्ता हेनरी मोरालेस ने गणना की थी कि 1999 से 2015 के बीच क्यूबा द्वारा विदेशों को दी गई विकास सहायता उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.6 प्रतिशत थी। इसके मुकाबले यूरोपीय देशों द्वारा दी गयी सहायता औसतन 0.39 प्रतिशत और और अमेरिका द्वारा दी गयी सहायता केवल 0.17 प्रतिशत थी।

1960 से अब तक 6 लाख से अधिक क्यूबाई स्वास्थ्य कर्मियों ने दुनिया के अनेक देशों में सेवाएं दी हैं, जिससे लाखों लोगों की जान बची है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, विशेषकर गरीब और उपेक्षित आबादी के बीच। विभिन्न स्रोतों के अनुसार, क्यूबा के चिकित्सा मिशनों के अंतर्गत 6 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मी 160 से 180 देशों में कार्य कर चुके हैं।

कोविड महामारी के दौरान क्यूबा ने 59 से अधिक प्रभावित देशों में चिकित्सा दल भेजे थे। जब महामारी अपने चरम पर थी, तब महामारी विज्ञान में पारंगत 53 क्यूबाई विशेषज्ञों का एक दल इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र पहुंचा था, जो उस समय महामारी का सबसे बड़ा केंद्र था। इस दल ने इटली की संघर्षरत स्वास्थ्य व्यवस्था को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

इसी प्रकार 39 क्यूबाई चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल छोटे से यूरोपीय देश एंडोरा भेजा गया, जो फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। वहां के कई डॉक्टर कोविड-19 से संक्रमित हो जाने के अंदेश से काम नहीं कर पा रहे थे।

क्यूबा ने इटली, वेनेजुएला, निकारागुआ, जमैका, सूरीनाम और ग्रेनाडा सहित अनेक देशों में डॉक्टरों के दल और चिकित्सा सामग्री भेजी। हाल के आंकड़ों के अनुसार, हजारों क्यूबाई डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी आज भी दुनिया के दर्जनों देशों में कार्यरत हैं।

यही वह छोटा-सा देश था, जिसने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी (अपार्थाइड) सरकार द्वारा समर्थित आक्रमणकारी शक्तियों से अंगोला की रक्षा के लिए लगभग 4 लाख सैनिक भेजे थे।

लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने दिया क्यूबा के इन मानवीय कार्यों का यह सिला

लेकिन इन सभी मानवीय कार्यों के लिए क्यूबा को सम्मान दिलाना तो दूर रहा, उल्टे उसे अमेरिकी साम्राज्यवादियों और उनके सहयोगियों की तीखी नाराजगी और कड़ा विरोध झेलना पड़ा।

क्यूबा ने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत के लगातार हमलों का सामना किया है। इनमें साम्राज्यवादियों द्वारा की गयी सरेआम और गुप्त सैन्य कार्रवाइयां, तोड़फोड़, आतंकवादी गतिविधियां, आर्थिक युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिशें शामिल हैं।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों और उनके सहयोगियों ने क्यूबा को कमजोर करने की सुनियोजित ढंग से कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने लोगों को देश छोड़कर जाने के लिए उकसाया, जबकि दूसरी ओर हुंडी से धन भेजने, पारिवारिक मुलाकातों और वीजा सुविधाओं में बाधाएं खड़ी कीं। इसके साथ-साथ सत्ता परिवर्तन के कार्यक्रमों के लिए बड़े पैमाने पर धन भी उपलब्ध कराया गया।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

एआईयूटीयूसी, बिहार राज्य कमेटी की जनरल बॉडी मीटिंग



एआईयूटीयूसी, बिहार जनरल बॉडी मीटिंग को संबोधित करते हुए कॉमरेड स्वपन घोष

पटना (बिहार) : 31 मई को एआईयूटीयूसी, बिहार राज्य कमेटी की जनरल बॉडी मीटिंग आईएमए हाल में हुई। इस मीटिंग में संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉमरेड स्वपन घोष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अरुण कुमार सिंह उपस्थित थे।

एआईयूटीयूसी, बिहार जनरल बॉडी मीटिंग को संबोधित करते हुए कॉमरेड स्वपन घोष ने कहा कि ऑल इंडिया जनरल काउंसिल मीटिंग सितंबर महीने में यहां होनी है। समय ज्यादा नहीं है। यह बिहार संगठन को विकसित करने एवं

उसका विस्तार करने का एक सुनहरा मौका है। राज्य कमेटी के सभी सदस्यों को जनरल काउंसिल मीटिंग की तैयारी में लगना है। इस मौके पर सभी यूनियनों की अलग-अलग बैठकें करनी होंगी। सभी यूनियनों को फंड कलेक्शन की जिम्मेदारी देनी है। जो विभिन्न उप समितियां बनी हैं, उन्हें ठीक से कार्य करना चाहिए, अपनी-अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना चाहिए। उन्होंने सभी कॉमरेडों से अपील की कि वे सभी इस काम में जुट जाएं, तभी जनरल काउंसिल मीटिंग शानदार ढंग से सफल होगी।

जनजीवन के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनसभा आयोजित



जनसभा को संबोधित करते हुए किसान नेता कॉमरेड सत्यवान

रेवाड़ी (हरियाणा) : ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के तत्वावधान में 5 जून को नीमोठ गांव में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जनसभा का संचालन किसान नेता कॉमरेड रामकुमार ने किया। सभा को बतौर मुख्य वक्ता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेता एवं नीमोठ के पूर्व सरपंच कॉमरेड सत्यवान ने संबोधित किया। उन्होंने जनजीवन के ज्वलंत मुद्दे को लेकर, जैसे कि महंगाई-बेरोजगारी के विरोध में, मनरेगा स्कीम की बहाली के लिए, किसानों को उनकी फसल के स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागत मूल्य से डेढ़ गुना एमएसपी देने, किसान-विरोधी अमेरिका-भारत डील के विरोध में, कर्ज मुक्ति समेत जैसी मांगों पर प्रदेशव्यापी जोरदार आंदोलन गठित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने किसानों के हाथों में किसान संगठन का झंडा सौंपकर इस जनजागृति अभियान का सूत्रपात किया। कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि

देश-प्रदेश में किसान-मजदूरों की तमाम समस्याओं की जिम्मेवार केन्द्र एवं राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हित में जनविरोधी नीतियों को थोपा है। जनआंदोलन के रास्ते ही समस्याओं का समाधान होगा।

जनांदोलन में सक्रिय कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने अपने संबोधन में कहा कि जनजीवन के मुद्दों को लेकर हर स्तर पर जनसंघर्ष कमिटियों का निर्माण किया जाए। किसान नेता एवं खोल ब्लॉक के प्रधान कॉमरेड अमर सिंह राजपुरा ने किसान-मजदूरों की एकता को मजबूत कर आंदोलन को तेज करने की अपील की।

युवा संगठन एआईडीवाईओ के जिला सचिव कॉमरेड अजय सिंह ने अश्लीलता और नशाखोरी से युवाओं को बचाने के लिए सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ने पर बल दिया। उन्होंने नौजवानों से अपना सामाजिक फर्ज अदा करने के लिए मेहनतकश जनता के आंदोलनों में एक वालंटियर की भूमिका निभाने के लिए आगे आने का आह्वान किया।

आमादा है, जो पुराने हिंदू कोड बिल का एक नया संस्करण है।

गंभीर चिंता की बात यह है कि समय बीतने के साथ मेहनतकश आम-अवाम के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजन कम होने के बजाय सत्तारूढ़ व्यवस्थाओं द्वारा और भी ज्यादा भड़काये-उकसाये जा रहे हैं, खासकर भाजपा द्वारा तेजी से सांप्रदायिकता, जातिवाद, उपराष्ट्रीयता, इलाकापरस्ती, अतिवाद, भाषाई व क्षेत्रीय संघर्षों को भड़काकर पूंजीवादी शासकों के खिलाफ वर्ग संघर्षों और जन आन्दोलनों को बाधित और 'हिंदू वोट बैंक' को मजबूत किया जा रहा है।

इसलिए हम जाति, पंथ, धर्म, उपराष्ट्रीयता या भाषा की दीवारों से ऊपर उठकर सभी लोकतांत्रिक विचारधारा वाले नेक इरादे वाले व्यक्तियों से लामबंद होने और सभी तबकों के मेहनतकशों को शामिल करते हुए एक संयुक्त संगठित शक्तिशाली सतत आंदोलन खड़ा करने का पुरजोर आह्वान करते हैं ताकि सभी भाजपा सरकारों को इस तरह के बेहद हानिकारक यूसीसी को अपनाने से रोका जा सके।

मिड-डे-मील कुकों की समस्याओं के समाधान हेतु सौंपे जापन

हरियाणा।

एआईयूटीयूसी व स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया से संबद्ध मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा (रजि. नं. 2077) के बैनर तले मिड-डे मील कर्मियों ने चरखी दादरी में 9 जून को, तोशाम, भिवानी में 13 जून को, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, भिवानी, हांसी, नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ में 10 जून को और तावडू, नूंह में 7 जून को अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशभर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर अधिकारियों की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम जापन सौंपे। सोनीपत में यूनियन की जिला प्रधान रेखा, तोशाम, भिवानी में यूनियन की जिला प्रधान मीरा देवी और एआईयूटीयूसी के भिवानी जिला सचिव कॉमरेड राजकुमार बासिया व जिला प्रधान कॉमरेड धर्मवीर सिंह, चरखी दादरी में जिला प्रधान कमलेश व कॉमरेड राजकुमार बासिया, भिवानी में यूनियन की जिला प्रधान मीरा देवी और एआईयूटीयूसी के भिवानी जिला सचिव कॉमरेड राजकुमार बासिया व जिला प्रधान कॉमरेड धर्मवीर सिंह, पानीपत में यूनियन की महासचिव कुसुम पांचाल, जिला प्रधान अख्तर और एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी, तावडू में यूनियन की जिला सचिव शारदा देवी, हांसी में एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड मेहर



सोनीपत

कु-कम-हेल्पर्स को मामूली-सा 7000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है और यह भी समय पर नहीं मिलता है। इसका केन्द्र का हिस्सा मिलने में तो कई-कई महीने गुजर जाते हैं। यह भी साल में मात्र 10 माह का मानदेय मिलता है, जबकि बाकी सबको 12 माह का मिलता



तोशाम

है। यह सरासर भेदभाव है। दो ड्रेस के मात्र 600 रुपये मिलते हैं, जिसमें सिलाई भी नहीं होती है। आज बढ़ती महंगाई में इतने कम पैसों में गुजारा करना मुश्किल है। हरियाणा सरकार ने अभी जो 15220 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन घोषित किया है, सबका वेतन बढ़ाया गया, लेकिन कुकों का वह भी नहीं बढ़ाया गया है। जब सरकार ही हमें नौकरी पर लगाती है और हम सरकारी स्कीम के तहत मिड-डे-मील कार्यकर्ता



नारनौल

सिंह, रेवाड़ी में यूनियन की जिला सचिव मुनेश देवी, एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड शेर सिंह और जिला कोषाध्यक्ष कॉमरेड संतोष देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन किये गये।

ज्ञापन में प्रांत में घोषित न्यूनतम वेतन 15220 रुपये मासिक देने, केन्द्र व राज्य का मानदेय एक साथ समय पर भुगतान करने, हर साल ड्रेस के कम से कम तीन हजार रुपये देने, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने और सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपये सहायता राशि और पेंशन देने, मृत्यु पर कम से कम 5 लाख रुपये मुआवजा देने, महंगाई

के हिसाब से बच्चों के राशन के पैसे बढ़ाने, यूनियन की महासचिव कुसुम पांचाल समेत हटायी गई सभी वर्कर्स को ड्यूटी पर लेने, ड्यूटी पर अपमानित न करने और हमसे इन्सानों जैसा व्यवहार करने, कुक को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन काटने के बजाय पूरे 12 महीने का मानदेय देने की मांग की गई।

इस मौके पर यूनियन नेताओं ने कहा कि मिड-डे-मील कुक राजकीय विद्यालयों में स्कूल खुलने से बंद होने तक ड्यूटी कर बच्चों के मिड-डे-मील की व्यवस्था करती हैं और रोजाना 8 घण्टे काम करती हैं, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी मिड-डे-मील

अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में प्रदान कर रही हैं, तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत महसूस की जाती है, तो कम से कम श्रमिक का दर्जा दिया ही जाए, जिससे नौकरी से जुड़ी दूसरी सुविधाएं भी मिल सकें।

श्रमिक की बजाय कार्यकर्ता और वेतन की जगह मानदेय की आड़ में इस योजना में कार्यरत श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा उपायों, हितलाभों व सुविधाओं से भी मिड-डे-मील कार्यकर्ता वंचित हैं। स्कूल में बच्चों



चरखी दादरी

की संख्या कम होने पर मिड-डे-मील कार्यकर्ता को काम से हटा दिया जाता है, चाहे वह कितने ही साल से काम करती हो। मिड-डे-मील कर्मियों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। यह सरासर अन्याय है। वक्ताओं ने मिड-डे-मील कर्मियों से भी ज्वलंत मांगों को लेकर आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया और आगामी 24 जून को भिवानी में प्रांतीय स्तर के प्रदर्शन में बढ़चढ़कर शामिल होने की पुरजोर अपील की।



नूंह



पानीपत

समान नागरिक संहिता ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

2018 में प्रकाशित एक विस्तृत सविधान पत्र में दृढ़ता से राय व्यक्त की कि यूसीसी "इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है"। अनुकूल माहौल पैदा किये बिना और राष्ट्रीय सहमति बनाये बिना यूसीसी केवल मौजूदा विभाजनों, आपसी नफरत और अविश्वास तथा एक-दूसरे के खिलाफ बुरी भावनाएं बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा, जबरन लागू यह यूसीसी अल्पसंख्यकों के वैध हितों और आकांक्षाओं को खतरे में डाल देगा, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जो पहले से ही उत्पीड़ित, वंचित और प्रताड़ित हैं और यहां तक कि सत्तारूढ़ भाजपा की शरण में उन्मादी कट्टर सांप्रदायिक हिंदुत्ववादियों द्वारा की जा रही लिंचिंग का सामना कर रहे हैं।

भारतीय संविधान निर्माताओं के तर्क और 21वें विधि आयोग की 2018 में प्रकाशित सिफारिश को नजरअंदाज करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करने पर

भाजपा सरकार के दायित्वहीनता के कारण दिल्ली में लगातार हो रहे हैं अग्निकाण्ड

अग्नि सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर होटल व्यवसाय दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की पुलिस-प्रशासन न तो कुछ देखती है और न ही सुनती है। नतीजतन, 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई गंभीर हालत में हैं। मृतकों और घायलों में कई ऐसे विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो इलाज के लिए दिल्ली आये थे। ये सभी दक्षिणी दिल्ली के 'फ्लोरिश स्टे' बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में ठहरे हुए थे।

पिछले पांच महीनों में दिल्ली में अग्निकाण्डों की संख्या 21 हो गई है। मृतकों की संख्या अब तक 110 तक पहुंच गयी है। 3 जून को हुई दुर्घटना के बाद ही दिल्ली की निकम्मी भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री को एक विशेष घोषणा करने का समय मिला। उन्होंने बताया कि इस बार वहां की भाजपा सरकार दिल्ली शहर में होटलों सहित सभी संस्थानों के अग्नि सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेगी।

दिल्ली के होटल, रेस्तरां और अन्य सेवा प्रदाताओं में से अधिकांश में ही लंबे समय से अग्नि सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। पिछले साल जनवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगमों को निर्देश दिया था कि वे देखें कि इन सभी स्थानों पर अग्नि सुरक्षा नियम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके बाद 5 महीने गुजर गये। फिर भी दिल्ली की भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन ने इस निर्देश को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि 27 मई को दिल्ली सरकार ने एक नया अग्नि सुरक्षा नियम प्रस्तावित किया। इसमें कहा गया है कि सरकारी 'दिल्ली फायर सर्विसेज' (डीएसएफ) के बजाय निजी फायर-ऑडिटर्स से ही अग्नि सुरक्षा संबंधी मंजूरी ली जा सकती है। इतना ही नहीं, दिल्ली की भाजपा सरकार ने 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' योजना जैसे होटल संबंधी पुराने नियमों को बदलते हुए 2026 की मसौदा नीति में यह प्रस्ताव भी रखा है कि वे अग्नि सुरक्षा के मामले में स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे! दिल्ली जैसे व्यस्त राजधानी शहर में, जहां बिना अनुमति के घरों की ऊंचाई बढ़ाने या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरों का इस्तेमाल करने का रिवाज है, वहां लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अग्नि सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रशासनिक सख्ती के बजाय भाजपा सरकार किनके हित में नियंत्रण में ढील देने की कोशिश कर रही है। वास्तव में अग्नि सुरक्षा नियमों, जिनके साथ जीवन-मरण का सवाल जुड़ा हुआ था, के प्रति दिल्ली सरकार की नाकामी और अक्षम्य उदासीनता के कारण ही 3 जून को इतने लोगों की जान गई।

फ्लोरिश होटल में आग लगने के बाद दमकल का इंतजार किये बिना, पीड़ित लोगों को बचाने के लिए आस-पास के लोग हमेशा की तरह फरिश्ता बनकर आगे आये। इस प्रसंग में दिल्ली अग्निशमन विभाग की लचर हालत सामने आयी। डीएफएस के आंकड़ों के अनुसार, स्टेशन अधिकारी के 90 पदों में से 72 पद खाली पड़े हैं। उप अधिकारी के 172 पदों में से 61 पद खाली पड़े हैं। दमकल विभाग के निचले स्तर के कर्मचारी, जो आग बुझाने और बचाव कार्यों में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं, उनके

भी 58 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। इस स्थिति में, कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा दिल्ली अग्निशमन दस्ता जब घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया था।

फ्लोरिश स्टे होटल में अग्नि सुरक्षा का कोई उचित इंतजाम नहीं था। बाहर निकलने के लिए केवल एक ही दरवाजा था। पट खुलने वाली खिड़कियां भी नहीं थीं। छत के दरवाजे भी बंद थे। नतीजतन, आग की लपटों और धुएं से दम घुटने से मौत के मुंहाने बैठे वहां ठहरे लोगों के बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध था। उसके आसपास के निवासी बचाव के लिए आगे आये। बाहर से खिड़कियों के शीशे तोड़कर, आग और धुएं की परवाह किये बिना, स्थानीय आमीर खान, वसीम राजा, मोहम्मद अफजल, अरमान मंसूरी जैसे आम नागरिकों ने अंदर घुसकर पीड़ितों को बचाया। पड़ोस के 61 वर्षीय बुजुर्ग रियाजुद्दीन ने गद्दों की अपनी दुकान से एक के बाद एक गद्दे लाकर नीचे होटल के सामने सड़क पर बिछा दिये ताकि ऊपर से कूद रहे लोग अपनी जान बचा सकें। रियाजुद्दीन के साथ इस काम में संजय गोयल और कई अन्य लोग शामिल थे। इस काम में रियाजुद्दीन साहब को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन लोगों को आग की चपेट में आते देखकर वे हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रह सके। आर्थिक नुकसान की बात उस समय उनके दिमाग में ही नहीं आयी। वास्तव में उनकी इस सूझबूझ से उस होटल के कई लोगों की जान बच गयी। मोहम्मद शोएब ने धुएं और गर्मी से बेहोश हुए कम से कम 8 पीड़ितों को माउथ-टू-माउथ और सीपीआर देकर उनकी सांसें चालू कर दीं। होटल के आसपास रहने वाले जांबाज लोगों और छोटे व्यापारियों ने मृतकों को निकालने और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी।

फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकाण्ड में पीड़ितों की जान बचाने वालों में से कई मुसलमान थे। अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव कार्यों में कूदते समय, उनमें से किसी ने भी आग की लपटों में घिरे हुए लोगों की धार्मिक पहचान के बारे में नहीं सोचा। स्वाभाविक मानवीय भावना से प्रेरित होकर दूसरे किसी इन्सान की जान बचाने के लिए हर कोई कूद पड़ा। जबकि धार्मिक अल्पसंख्यक होने के 'जुर्म' में इन्हें ही सांप्रदायिक भाजपा के नेता-कार्यकर्ता दिनरात 'आतंकवादी', 'देशद्रोही' का ठप्पा लगाते रहते हैं और उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकी देते रहते हैं।

दिल्ली में भाजपा की सरकार है। अपनी इस सरकार की नाकामी और लापरवाही के नतीजतन इतने सारे लोगों की जान जाने और पीड़ितों को बचाने में अल्पसंख्यक आम लोगों की इस अदम्य साहसी भूमिका को देखने के बाद क्या मुस्लिम-विरोधी वे सभी भाजपा नेता-कार्यकर्ता अब शर्मिदा महसूस करेंगे?

आंगनवाड़ी कर्मियों की ज्वलंत मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

रोहतक (हरियाणा) : आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा (संबद्ध एआईयूटीयूसी) के बैनर तले सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 10 जून को रोहतक के मानसरोवर पार्क में एकत्रित होकर अपनी लंबित मांगों पर जोरदार जुलूस निकाला और महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

कृषि भूमि अधिग्रहण के विरोध में गरजे किसान, महापंचायत में संघर्ष तेज करने का लिया संकल्प



संभल (उत्तर प्रदेश) : 8 जून को ग्राम कसेरुआ में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के तत्वावधान में गोकुल सिंह एवं तेजपाल सिंह के बाग में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में कृषि भूमि अधिग्रहण, किसानों की समस्याओं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड अमर सिंह ने की।

महापंचायत को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि विकास के नाम पर उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किसानों के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है। इससे किसानों की रोजी-रोटी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर जनसंघर्ष खड़ा करना समय की मांग है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है

तथा उर्वरकों के लगातार बढ़ते दामों से खेती की लागत में भारी वृद्धि हुई है। वहीं किसान लंबे समय से लागत से डेढ़ गुना एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है।

महापंचायत में कृषि भूमि की सुरक्षा, किसानों के अधिकार, खेती की बढ़ती लागत, ग्रामीण रोजगार तथा अन्य किसान हितों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही आगामी किसान आंदोलनों की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष कॉमरेड सोमपाल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड भगवान सिंह, जिला सचिव कॉमरेड संजय राघव, कॉमरेड नवकेश चाहल, कॉमरेड उदयवीर सिंह यादव, कॉमरेड आशीष राघव, कॉमरेड लायक सिंह, कॉमरेड हसमुद्दीन, कॉमरेड तेजपाल सिंह, कॉमरेड विजयपाल सिंह, कॉमरेड भगवान सिंह, कॉमरेड कीरत सिंह, कॉमरेड नफीस अहमद सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

बिहार में जुझारू मजदूर आंदोलन खड़ा करने का श्रमिक कन्वेंशन में लिया गया संकल्प

पटना (बिहार) : ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) पटना जिला की तरफ से 7 जून 2026 को पटना के गांधी संग्रहालय में श्रमिक कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एआईयूटीयूसी की जिला प्रभारी कॉमरेड अनामिका कुमारी ने की। कन्वेंशन में विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों ने अपनी-अपनी समस्याओं को रखा, खासकर निजीकरण-ठेकाकरण-आउटसोर्स के साथ साथ स्कीम वर्कर्स के मुद्दों पर चर्चा हुई। रसोइयों, आशा, आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम मजदूरी 26000 रुपये महीना लागू करने की मांग उठायी गई।

कन्वेंशन को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र ने कहा कि वर्तमान समय में केन्द्र सरकार लोगों को नियमित रोजगार देने और महंगाई पर रोक लगाने की अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ चुकी है। ठेका प्रथा-आउटसोर्स



के माध्यम से हर विभाग में नियुक्ति-बहाली हो रही है। सरकार हायर एंड फायर की नीति लायी है। मजदूरों का शोषण अपने चरम पर है। बिहार में उद्योग-धंधे नहीं हैं। मजदूरों की दशा खराब हो रही है। उन्होंने कन्वेंशन में शामिल मजदूरों से आह्वान किया कि आने वाले सितंबर महीने में मजदूरों का जुझारू आंदोलन खड़ा किया जाये।

कन्वेंशन को एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड उमाशंकर वर्मा और कार्यालय सचिव कॉमरेड राजीव रंजन के अलावा बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन से शकीला खातून, पूनम देवी, रेणु देवी, मुन्नी देवी, सुलेखा देवी, रिकू देवी एवं भवन निर्माण मजदूर यूनियन से श्याम बाबू राय और राजू मांझी ने भी संबोधित किया।



कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार से इन मांगों को तुरंत पूरा करने का अनुरोध किया।

लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य... (पृष्ठ 1 का शेष)

भेजा जाता है। वे ऑन-स्क्रीन अंक देते हैं। सीबीएसई बोर्ड उसी के आधार पर नतीजे प्रकाशित करती है। भले ही यह प्रधानमंत्री के डिजिटल इण्डिया के सपने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन सीबीएसई अधिकारी देशभर के लाखों किशोर-किशोरियों के सपनों, उम्मीदों और भावी योजनाओं से भरे उस मानसिक जगत के नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे, जो एक झटके में अस्त-व्यस्त हो गया? इस मामले में सीबीएसई अधिकारियों के लिए मुख्य विचारणीय विषय

12वीं कक्षा की परीक्षा में धांधली की एआईडीएसओ ने की कड़ी निंदा

एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज ने 29 मई को एक बयान जारी कर 12वीं की परीक्षा के नतीजों में बड़े पैमाने पर धांधली और छात्रों को एक सोची-समझी साजिश के तहत काफी परेशानी में डालने के लिए सीबीएसई अधिकारियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू हुए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक इस्तेमाल की वजह से आज लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि पूरे छात्र समुदाय के शैक्षणिक जगत पर एक सुनियोजित हमला है। कुल मिलाकर, सम्पूर्ण ढांचे का ढह जाना और मूल्यांकन प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावना स्पष्ट समझ में आ रही है। सही ढांचे का निर्माण किये बिना, शिक्षकों को सही से प्रशिक्षण दिये बिना और जरूरी ट्रायल किये बिना डिजिटल

रहा है केन्द्र की भाजपा सरकार का डिजिटल इण्डिया का एजेंडा। 18 लाख परीक्षार्थियों के उत्तर-पत्रों का सही मूल्यांकन कर नतीजे प्रकाशित करना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निरुपाय होकर इसके लिए खुद को जिम्मेदार माना है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के नतीजों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी वगैरह के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेने से यह आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि कहीं वे इससे शिक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को छिपाना तो नहीं चाहते हैं? कागज-कलम के जरिये उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे सवालों के जवाब को ओएसएम प्रणाली में बदलने का ठेका जिस 'क्वेम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड' नामक संस्था को दिया गया था, क्या ठेका देने से पहले अधिकारियों ने अन्य मामलों में उस संस्था की भूमिका की जांच की थी? 2019 में 'तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन' ने इस संस्था को 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा कराने के लिए डेटा प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब इसका नाम 'ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' था। इस काम में संस्था बुरी तरह असफल रही। तीन लाख छात्रों के बड़े पैमाने पर रिजल्ट खराब होने और एक हफ्ते में 18 छात्रों की खुदकुशी के दबाव में तेलंगाना बोर्ड को संस्था के साथ सभी ठेके रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो फिर केन्द्रीय बोर्ड सीबीएसई ने ऐसी विफल संस्था को ठेका क्यों दिया? जिस निविदा प्रक्रिया के जरिये क्वेम्प्ट को चुना गया था, उसमें संस्था ने सबसे कम बोली लगायी थी। उसने प्रति उत्तर-पत्र पच्चीस रुपये निर्धारित किया था। जबकि अन्य संस्थाओं ने प्रति उत्तर पत्र न्यूनतम साठ रुपये तय किया था। इतने बड़े अंतर की वजह क्या है? छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गुणवत्ता से समझौता क्यों किया गया? केन्द्रीय

शिक्षा मंत्री ने इन सवालों का जवाब देने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की। ओएसएम प्रणाली को लागू करने के लिए जितने समय और जितने गहन प्रशिक्षण की जरूरत थी, इस संबंध में भी बोर्ड की कोई योजना नहीं थी। संबंधित शिक्षकों ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी परीक्षा शुरू होने से महज एक महीना पहले दी गयी कि इस बार ओएसएम प्रणाली से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जायेगा। इन शिक्षकों के अनुसार इसके लिए कम से कम छह महीने के प्रशिक्षण की जरूरत थी। लेकिन वास्तव में प्रशिक्षण हुआ मात्र 45 मिनट का। नतीजे आने से दस दिन पहले भी नयी मूल्यांकन प्रणाली को जबरदस्ती थोप दिये जाने की वजह से आज पूरी परीक्षा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ गयी है। सीबीएसई ने छात्रों की कड़ी मेहनत को डिजिटल मनमानी में बदल दिया है। संगठन ने मांग की है:

- हर प्रभावित छात्र-छात्रा की उत्तर पुस्तिका का अविलंब निशुल्क पुनर्मूल्यांकन डिजिटली नहीं, बल्कि हाथों से किया जाये।
- ओएसएम प्रणाली और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच करवायी जाये।
- जब तक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली भरोसेमंद साबित न हो जाये, तब तक उसे स्थगित रखा जाये।
- इस अनियमितता और अराजकता के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी अधिकारियों और निजी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।

प्रणाली से उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में असमर्थ शिक्षकों से ऐसे शिक्षकों के पास उत्तर पुस्तिकाएं आने लगीं, जिन पर पहले से ही काफी उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का दबाव था। इसलिए न तो उत्तर पुस्तिकाओं का सही मूल्यांकन हो पाया और न ही बोर्ड को अंक पत्र जमा करने से पहले उसकी सही से स्कूटनी कर पाना संभव हो पाया। केन्द्रीय बोर्ड को ओएसएम प्रणाली लागू करने की इतनी जल्दी क्यों थी? अगर पुरानी प्रणाली से मूल्यांकन होता, तो क्या नुकसान हो जाता? केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में किसी भी तरह से ओएसएम प्रणाली थोप देने के फैसले की कोई वजह नहीं बतायी। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मूल्यांकन की पूरी प्रणाली बिना किसी योजना के और अवैज्ञानिक थी। क्या जुबानी तौर पर जिम्मेदारी ले लेना ही काफी है? क्या 'तकनीकी समस्या', 'शिकायतों की जांच होगी', 'कोई भी छात्र वंचित नहीं होगा' जैसी बातें कहकर उन छात्रों की समस्याओं की गहराई में जाया जा सकता है, जो अपनी जवानी की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा मानसिक संकट में हैं? बेशक, ये नेता-मंत्री और इनके अनुयायी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जिन्होंने वेदांत को पाकिस्तानी और देशद्रोही कहा, आज देश और शिक्षा व्यवस्था का संचालन उन्हीं की राजनीति के कर्ताधर्ताओं द्वारा हो रहा है। सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि सीबीएसई की यह नयी प्रणाली शिक्षा को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने का एक कदम है। यह भाजपा सरकार के शिक्षा के व्यापारीकरण का ही एक कदम है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था के चहुंमुखी विकास के लिए लोगों को आवाज बुलंद करना जरूरी है। इसके लिए एकजुट होकर विरोध करने की जरूरत है। वरना इन्सान के तौर पर बच्चों के विकसित होने के माध्यम इस शिक्षा व्यवस्था को ये शासक एक दिन पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ●

ईरान के बाद... (पृष्ठ 3 का शेष)

क्यूबा पर हमला करने का बहाना
जैसा कि हमने बार-बार देखा है, अमेरिकी साम्राज्यवादी किसी भी देश पर हमला करने या उसे अपने कब्जे में लेने से पहले कोई न कोई बहाना जरूर बनाते हैं। इराक के मामले में कहा गया था कि राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास जनसंहारक हथियार मौजूद हैं। लेकिन इराक पर कब्जा करने के बाद गहन खोजबीन के बावजूद ऐसे किसी हथियार का कोई प्रमाण नहीं मिला। बाद में अमेरिकी सरकार ने स्वीकार किया कि उसे गलत सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया गया और बाद में मध्यरात्रि में एक गुप्त सैन्य अभियान के जरिये उनका अपहरण कर लिया गया। इसी प्रकार ईरान पर अचानक किये गये हमले को यह कहकर उचित ठहराने की कोशिश की गई कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में यूरेनियम मौजूद है और वह यूरेनियम संवर्धन (प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम-235 की मात्रा बढ़ाने की औद्योगिक प्रक्रिया) कर रहा है, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है और जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है।

क्यूबा के खिलाफ एक पुरानी घटना को फिर उछाला जा रहा है
इसी तरह पेंटागन के शासक आरोप लगाते हैं कि फरवरी 1996 में तत्कालीन क्यूबाई राष्ट्रपति राउल कास्त्रो, जो अब 94 वर्ष के हैं, ने क्यूबा के मिग-29 लड़ाकू विमान को आदेश दिया था कि वह मियामी स्थित संगठन ब्रदर्स टू द रेस्क्यू के दो छोटे विमानों को मार गिराये। यह संगठन उन लोगों की खोज करता था, जो बेड़ों-रबड़ नौकाओं के सहारे अमेरिका पहुंचने का प्रयास कर रहे होते थे। उस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी। वास्तविकता यह है कि जिन दो विमानों के बारे में कहा गया था कि वे फ्लोरिडा जलडमरूमध्य को पार कर रहे लोगों की तलाश कर रहे थे, वे हवाना के ऊपर उड़ान भरते हुए पर्वे गिरा रहे थे। इसके बाद उन्हें क्यूबा के एक लड़ाकू विमान ने रोक लिया था। अब लगभग तीन दशक पुरानी इस घटना को इतिहास की धूल से निकालकर फिर से उछाला जा रहा है। लेख के अनुसार, इसका उद्देश्य क्यूबा के लोगों को, जो पहले से ही जीवन-निर्वाह के गहरे संकट से जूझ रहे हैं, सरकार के खिलाफ भड़काना, सत्ता परिवर्तन के हालात तैयार करना और आखिरकार वहां नौसेना और थलसेना भेजने के लिए माहौल बनाना है। दरअसल मौजूदा ट्रम्प प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय कायदे-कानूनों के प्रति खुली अवमानना दिखा रहा है और कैरेबियन व प्रशांत महासागर क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया से परे जाकर कत्ल, तेल क्षेत्रों और टैंकरों पर कब्जे, जहाजों के चालक दल के अपहरण और तेल की जब्ती जैसी कार्रवाइयों में संलिप्त है।

समाजवादी व्यवस्था को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं क्यूबावासी
लेकिन क्यूबा के लोग, जो अपनी वर्तमान समाजवादी व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखते हैं, किसी भी अमेरिकी हमले का पूरी ताकत से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हाल के सप्ताहों में राउल कास्त्रो के विरुद्ध अभियोग (इंडाइटमेंट) लगाये जाने की अफवाहों के बीच कई क्यूबाई अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि अगर ऐसा हुआ, तो चल रही सभी वार्ताएं समाप्त हो जायेंगी। उनके

अनुसार यह वास्तव में क्यूबा को ट्रम्प के साथ “समझौता” करने के लिए मजबूर करने की कोशिश है, जो उसकी संप्रभुता के लिए एक धमकी है और सैन्य हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करती है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए भी तैयार हैं। इस सप्ताह हवाना में बिजली कटौती के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने कहा: “अगर हममें से आधे लोग मर भी जायें, तो मर जायें। लेकिन कम-से-कम बाकी आधे लोग तो शांति से जी सकेंगे।” प्रदर्शनकारियों ने इतनी देर तक बर्तन और तवे पीटे कि उनमें गहरे निशान पड़ गए।

“पूरे जनसमुदाय के युद्ध” की तैयारी
क्यूबा की सरकार ने क्रांतिकारी सिद्धांत “पूरे जनसमुदाय का युद्ध” (वार ऑफ ऑल दि पीपल) के आधार पर नागरिक सुरक्षा तैयारियों को फिर से सक्रिय कर दिया है। क्यूबा के नागरिक और सैन्य अधिकारी वास्तव में कोई भौतिक “मानव दीवार” नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे एक राष्ट्रव्यापी रक्षा रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य संभावित अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को रोकना है। इस सिद्धांत के तहत पूरी आबादी-नागरिकों, मोहल्ला-आधारित मिलिशिया संगठनों और सशस्त्र स्वयंसेवकों सहित-को संगठित किया जाता है ताकि प्रत्येक शहर और समुद्री तट को प्रतिरोध के क्षेत्र में बदला जा सके। उद्देश्य यह है कि किसी भी संभावित कब्जे की कीमत इतनी भारी और परिस्थितियां इतनी जटिल बना दी जायें कि हमलावर ताकत के लिए उसे जारी रखना कठिन हो जाए। पिछले वर्ष 19 मई को क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कानेल ने चेतावनी दी थी कि किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से “रक्तपात” होगा और पूरे क्षेत्र के लिए उसके “अकल्पनीय परिणाम” होंगे। ग्लासगो विश्वविद्यालय में लैटिन अमेरिकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रोफेसर तथा क्यूबा एनालिसिस नामक पॉडकास्ट की प्रस्तोता हेलेन याफे ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहा: “क्यूबा में लगभग हर व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वह राष्ट्रीय रक्षा व्यवस्था का हिस्सा होता है।” क्यूबा की क्रांतिकारी परंपरा में शहादत को सम्मान का प्रतीक माना जाता है। देश का आधिकारिक नारा है: “Patria o muerte, venceremos” जिसका अर्थ है: “मातृभूमि या मृत्यु-हम विजय प्राप्त करेंगे।”

केवल क्यूबा का ही नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका का सवाल
यह मुद्दा केवल क्यूबा तक सीमित नहीं है। इसे पूरे लैटिन अमेरिका के साम्राज्यवाद-विरोधी और अमन पसन्द लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 67 वर्षों में दुनिया के मजदूर वर्ग और शोषित-उत्पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के कारण क्यूबा की क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अर्जित किया है। इसलिए असली तर्क यह है कि केवल लैटिन अमेरिकी जनता ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के साम्राज्यवाद-विरोधी लोगों को भी संभावित अमेरिकी सैन्य हमले के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराना चाहिए। लोगों को अपने देशों की सरकारों से यह मांग करनी चाहिए कि वे सभी संभव कूटनीतिक कदम उठायें ताकि क्यूबा की घेराबंदी समाप्त करने और इस द्वीपीय देश पर सैन्य कब्जे के किसी भी मंसूबे को त्याग देने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। ○

मोदी जी, सीजेआई और अब योगी जी की मजदूर-विरोधी टिप्पणियां:

आजादी आन्दोलन के नेताओं के विचारों के विपरीत आरएसएस के चिंतन की प्रतिध्वनि

आरएसएस के मार्गदर्शन में संचालित भाजपा की सरकारों व नेताओं का दृष्टिकोण कितना अलोकतांत्रिक व मजदूर-विरोधी है, यह 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र' के प्रधानमंत्री 'विश्वगुरु' श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही दर्शा दिया था, जब उन्होंने 2015 में मजदूरों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के राष्ट्रीय मंच 'इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस' (आईएलसी) का आयोजन बंद कर दिया था। 20-21 जुलाई 2015 को हुए 46वें और आखिरी भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, "मजदूरों के हित और ट्रेड यूनियन के हित में एक पतली रेखा होती है।" इस पर सम्मेलन में मौजूद एआईयूटीयूसी के तत्कालीन महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि मजदूर संगठन और मजदूर हितों के बीच कोई लकीर नहीं होती। ऐसा वहीं हो सकता है, जहां मालिक वर्ग का कोई संगठन मजदूरों के नाम पर संचालित हो रहा हो। एक सही मजदूर संगठन और मजदूरों के हित एक ही होते हैं। इसका गठन खुद मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए करते हैं। असल में मोदी जी यह कहना चाहते थे कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व मजदूर यूनियन नहीं करती हैं, तब उनसे संवाद करने की जरूरत ही क्या है? और यही सोच तब खुलकर सामने आ गयी, जब उनकी सरकार ने आईएलसी का आयोजन 2015 से बंद कर दिया। उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को इसका साफ संदेश गया कि मजदूरों के संगठनों से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। नतीजा आज सामने है कि लगभग प्रत्येक स्तर पर ट्रेड यूनियनों के साथ सरकार, प्रशासन और मालिकों द्वारा संवाद लगभग समाप्त हो गया है। यह साधारण बात नहीं है, अपितु एक फासीवादी विचारधारा का लोकतांत्रिक प्रणाली पर ही बड़ा हमला है।

सीजेआई सूर्यकांत ने ट्रेड यूनियनों को बताया विकास में बाधक

मोदी जी के विचार को और आगे बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 को घरेलू कामगारों के कल्याणकारी उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी ने कहा कि ट्रेड यूनियन देश में औद्योगिक विकास को रोकने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रही हैं। यूनियन गतिविधियों के कारण कई पारंपरिक उद्योग बंद हो गये हैं। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी तथ्यों और सबूतों के एकदम उलट है। इस मानसिकता को लेकर क्या कोई किसी मजदूर के साथ न्याय कर सकता है? जिन ट्रेड यूनियनों को वे विकास में रुकावट बता रहे हैं, क्या वे नहीं जानते कि ट्रेड यूनियनों की अहमियत के मद्देनजर ही मजदूरों को संगठित होने और अपनी बात उठाने की कानूनी मंजूरी दी गयी है? ऐसे में उनकी टिप्पणी क्या पूरी तरह से अनुचित नहीं है?

मुख्य न्यायाधीश को यह बात मालूम होगी कि देश में अभी भी 90 प्रतिशत से अधिक मजदूर असंगठित हैं। ऐसे में विकास अगर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ट्रेड यूनियन भला कैसे जिम्मेदार हो सकती हैं? उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में औद्योगिक विवाद, बंद और कर्मचारियों की छंटनी पर रिपोर्टों के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में औद्योगिक विवादों में उल्लेखनीय कमी हुई है। 2018 से प्रतिवर्ष 100 से भी कम विवाद दर्ज किये गए। वहीं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि पिछले पांच वर्षों में विलय, दिवालिप्यापन की कार्रवाई या कंपनी अधिनियम-2013 के तहत कंपनी का नाम हटाये जाने, मालिकों के आपसी द्वंद्व-झगड़ों आदि की वजह से 2 लाख से अधिक निजी कंपनियां बंद हो गयी हैं। भारतीय इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड (आईबीबीआई) के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि उद्योगों के बंद होने में श्रमिक अशांति के बजाय वित्तीय संकट, कॉर्पोरेट कुप्रबंधन और नीतिगत विफलता आदि मुख्य कारण हैं।

ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) ने मुख्य न्यायाधीश की इस

गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा था कि यह टिप्पणी साफ तौर पर उस सरकार जैसी है, जो एकाधिकारी पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। यह साफ तौर पर पूंजीवादी राज्य में न्यायपालिका के पूंजीपति परस्त चरित्र को दर्शाती है। मुख्य न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी पूंजीपतियों के हितों के अनुरूप "कारोबार करने में आसानी" के नाम पर मजदूर अधिकारों पर कुठाराघात करती है। साथ ही यह सामूहिक सौदेबाजी (कलेक्टिव बारगेनिंग) और श्रमिकों के हितों के प्रतिनिधित्व को मजबूती देने वाली संवैधानिक गारंटी को भी कमजोर करती है।

मजदूर आंदोलन के प्रति योगी जी की फासीवादी सोच व कार्यप्रणाली

आरएसएस के चहेते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो भगवा चोला पहन कर राम राज्य लाने के मिशन पर निकले हैं, ने अपने मुख कमल से मजदूर आंदोलन के बारे में जो जहर उगला है, वह बहुत ही खतरनाक व फासीवादी विचारधारा की झलक है। उन्होंने 18 मई 2026 को लखनऊ में एक अखबार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 'ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति कभी सकारात्मक नहीं रही। इसने सत्यानाश ही किया है।' यह बात कुछ उसी प्रकार की है, जैसी कि सीजेआई ने कही थी। उन्होंने यूनियन नेताओं पर डिस्टर्बेंस यानी 'अशांति फैलाने' के आरोप भी लगाये। गौरतलब है कि उन्होंने यह मजदूर-विरोधी और मजदूर आंदोलन-विरोधी टिप्पणी ऐसे समय पर की, जब नोएडा से लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आम मजदूर स्वतःस्फूर्त रूप से बिना किसी यूनियन का झंडा उठाये अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर उतर गए थे। उन्होंने न्यायसंगत व जीवन जीने योग्य न्यूनतम वेतन, गुलामों की तरह काम न लेकर 8 घंटे का कार्य दिवस, उद्योगों और संस्थानों में पीने के पानी, शौचालय आदि बुनियादी जन सुविधाओं की मांग उठायी थी। मजदूरों द्वारा क्या ये मांगें करना अनुचित है? उनकी सभी मांगें न्यायसंगत और कानूनसंगत थीं। उन्होंने दमघोटू माहौल से निकलने के लिए आवाज उठायी थी। लेकिन शायद योगी जी को यह चीज अच्छी नहीं लगी। शायद मजदूरों की यह कार्रवाई उनके व आरएसएस के राम राज्य की परिकल्पना के विरुद्ध थी। इसलिए उन्होंने मजदूरों द्वारा अपने को अमानवीय जीवन से बाहर निकालने की बुलंद आवाज को 'राज्य की समृद्धि और विकास को पटरी से उतारने की साजिश करार दिया।' हिंदुत्व के झंडाबरदार मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उनकी पुलिस-प्रशासन ने भयंकर लाठीचार्ज किया, 300 से अधिक लोगों को जेल में ठूस दिया, अनेक मजदूरों पर संगीन धाराएं लगायी, यहां तक कि भगत सिंह द्वारा लगाये गये 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा लगाना भी अनुचित करार दिया और इसे लगाने वालों को जेल में डाल दिया। नोएडा पुलिस ने 'इंकलाब जिंदाबाद' नारे को भड़काऊ ठहराया। यह अंग्रेजों के क्रूर शासन की तरह है, जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने आपत्ति जतायी और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया।

उसी कार्यक्रम में मजदूर आंदोलन पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए योगी जी ने कहा कि 'किसी भी बाहरी तत्व को कारखाने के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए।' उनका यह कहना पूरी तरह से भारतीय कानून व ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। मजदूरों को कानून यह अधिकार देता है कि वे अपनी यूनियन में बाहर से एक निर्धारित संख्या में उन लोगों को रख सकते हैं, जो उनका सहयोग करने के लिए जरूरी हों। 'कानून के पालन' की बात करने वाले योगी जी की बात पूरी तरह से भारतीय कानून के खिलाफ है। इसमें गहरी फासीवादी और मालिक परस्त भावना निहित है। यह उल्लेखनीय है कि देश की आजादी से पहले जब मजदूरों पर जुल्म हो रहे थे, तब लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने मजदूर आंदोलन को न

केवल अपना खुलकर समर्थन दिया था, बल्कि जहां जरूरत पड़ी, उन्होंने मजदूरों के आंदोलन में सीधे-सीधे भाग भी लिया था। लगता है कि अगर उस समय आरएसएस या उनके चहेते योगी जी का शासन होता, तो वे इन नेताओं को भी बाहरी तत्व कहकर जेल में डाल देते।

योगी जी की मजदूर-विरोधी सोच व कार्यप्रणाली कोई पहली बार सामने नहीं आयी है। इससे पहले 2024 में भी, जब उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षक भाजपा की योगी सरकार के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ और अपनी अन्य जायज मांगों को लेकर हजारों हजार की संख्या में सड़कों पर उतर पड़े थे, तब भी योगी जी ने शिक्षक दिवस के मौके पर गोरखपुर में कहा था कि 'शिक्षकों को ट्रेड यूनियन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।' यह कहना 'राइट टू ऑर्गेनाइज' (संगठित होने के कानून सम्मत अधिकार) के खिलाफ है। सीएम योगी जी का बयान किसी भी तरह के तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। यह उनकी ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रति गहरी नफरत को दर्शाता है। साथ-साथ यह भी दर्शाता है कि वे कितने गैरजनवादी हैं और वे लोकतांत्रिक अधिकारों, मजदूर अधिकारों के प्रति कितना नकारात्मक नजरिया रखते हैं। शायद योगी जी अपने आकाओं देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के सामने केवल यह साबित करना चाहते हैं कि उनके लिए उनसे बेहतररीन सेवक कोई दूसरा नहीं है।

योगी जी की यह सोच कि ट्रेड यूनियन आंदोलन 'सत्यानाशी' रहा है आरएसएस की विचारधारा और कार्यप्रणाली से गहरी मेल खाती है। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1925 में अपने गठन के बाद से ही आरएसएस ने भारत के आजादी आंदोलन में तो हिस्सा लिया ही नहीं, बल्कि उसने भारत के मजदूरों द्वारा शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ उठी आवाज का भी सहयोग-समर्थन नहीं किया। क्योंकि वह आजादी आन्दोलन को अपने हिंदुत्व के मिशन के विरुद्ध देखता था। अतः उनकी विचारधारा से आजादी आंदोलन व मजदूर आंदोलन का समर्थन करना संभव नहीं था। उसका आज भी यही नजरिया है, जिसको देश ने हाल में हुए स्वतःस्फूर्त देशव्यापी मजदूर आंदोलन व इससे पहले हुए किसान आन्दोलन के समय भी देखा है। आरएसएस की सोच की प्रतिध्वनि ही हम मोदी जी, योगी जी, सूर्यकांत जी जैसे लोगों में सुन रहे हैं। यह अन्य कुछ भी नहीं है, बल्कि भारत के पूंजीपति वर्ग की सबसे प्रतिक्रियावादी और फासीवादी सोच है।

आजादी आन्दोलन के परवाने भारत के मजदूर आंदोलन का हिस्सा थे

आजादी आंदोलन के अनेक परवानों ने मजदूरों के शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज उठायी और उनके आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी की थी। देश का पहला मजदूर संगठन एआईटीयूसी देश की आजादी से पहले 1920 में बना था। तब लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 1929 में इसके 10वें अधिवेशन में इस संगठन का अध्यक्ष बने थे। नेताजी ने भी मजदूर आंदोलन का समर्थन और मार्गदर्शन किया था। वे इसमें हर प्रकार से शामिल हुए थे। नेताजी सुभाष बोस का मानना था कि "भारत की स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन का ही अंत नहीं, बल्कि मजदूर-किसानों के शोषण का अंत भी है।" उन्होंने जमशेदपुर के टाटा स्टील मजदूर आंदोलन, जूट मिल मजदूर संघर्षों, रेलवे मजदूर आंदोलनों तथा विभिन्न श्रमिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की थी। उन्होंने 1937 में किसानों की एक सभा में यूनियन मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा था कि "दुनिया के व्यापार में मंदी छा गई है। उसका असर यहां (भारत में) भी है। लगभग सभी कंपनियां, यहां तक कि टाटा और बर्मा ऑयल कंपनी भी मजदूरों की छंटनी कर रही है। ऐसी स्थिति में आप अपनी यूनियन मजबूत कीजिए। मालिक लोग आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम मजदूर दफ्तर खोलेंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे, अतः आप अपनी यूनियन भंग कर दीजिए। उनके इस भुलावे में मत आइये।"

1928 में खड़गपुर में रेलवे श्रमिकों की एक सभा में उन्होंने लोगों को सत्ता के चरित्र के बारे में सचेत करते हुए कहा था कि "मालिक और मजदूरों के बीच विरोध पैदा होने पर राष्ट्र की पूरी ताकत मालिकों के पक्ष में झोंक दी जाती है।" आज भी हम यही सब देख रहे हैं। ऐसे में, उन्होंने देश की आम जनता से अपील करते हुए एक समय कहा था कि "मुसीबत में फंसे मजदूरों को मदद के लिए आप आगे आएं। राजसत्ता की सारी शक्ति पूंजी की सहायता के लिए है। मजदूर उनके खिलाफ संग्रामरत हैं। इस संग्राम में उनके लिए सभी को कुछ न कुछ करना है।" यानी पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ मजदूरों के संघर्ष में लोगों को हर तरह से मदद करनी है। जबकि आरएसएस के चहेते योगी जी समर्थन करने वालों को 'बाहरी तत्व' बताकर उन्हें दबाने-कुचलने की बात कर रहे हैं। अतः यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि योगी जी 'सत्ता की सारी शक्ति' को पूंजीपतियों के हित में मजदूर आंदोलन को कुचलने में लगा रहे हैं।

आइये हम शहीद-ए-आजम भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को भी श्रद्धापूर्वक याद करें, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के निर्णय के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को भारत की ब्रिटिश असेम्बली में यह जानते हुए भी बम फेंका था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाद में फांसी दे दी जाएगी। यह सर्वविदित है कि संसद में बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य 'पब्लिक सेफ्टी बिल' का विरोध था, जो क्रांतिकारी और मजदूर आंदोलनों पर कठोर नियंत्रण लगाने के लिए लाया जा रहा था। दूसरा कारण 'ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल' को रोकना था, जिसे मजदूर आंदोलनों और हड़तालों को सीमित करने के लिए लाया जा रहा था। इससे ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगता और मजदूरों के संगठन बनाने एवं विरोध की आवाज बुलंद करने के अधिकार कमजोर होते। तीसरा कारण मजदूर नेताओं और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों तथा श्रमिक आंदोलनों के दमन का विरोध करना था। इस तरह हम देखते हैं कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह और उनका संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके नेता चंद्रशेखर आजाद थे, ने भी मजदूर आंदोलन के लिए बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी दूसरी कोई मिसाल देना संभव नहीं है।

यह बड़े दुख और अफसोस की बात है कि आरएसएस की विचारधारा में पले-बढ़े मोदी जी व योगी जी जैसे लोगों की यह टिप्पणी देश के उन महान क्रांतिकारियों व नेताओं का अपमान और उनके इस महान कार्य को धूमिल करने के समान है, जिन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन में शिरकत करके देश के गरीब मेहनतकश मजदूरों के लिए आवाज बुलंद की थी।

जोरदार मजदूर आंदोलन वक्त की जरूरत

आरएसएस की विचारधारा से संचालित भाजपा की सरकार देश के पूंजीपतियों के हक में एक के बाद एक श्रमिक-विरोधी नीतियों को थोप रही है। वह श्रमिकों के विरोध के बावजूद मजदूर अधिकारों पर हमला करते हुए चार लेबर कोड लायी है। वह हर जायज आंदोलन को कुचलने पर आमादा है। वह लोकतांत्रिक मूल्यों को पैरों तले रौंद रही है। वह अंग्रेजी राज से भी ज्यादा निर्ममता से आंदोलनकारियों को जेलों में डाल रही है और 'फूट डालो-राज करो' की नीति बेशर्मी से लागू कर रही है।

इसका मुकाबला चुनावी राजनीति से नहीं किया जा सकता। इसका मुकाबला सिर्फ ताकतवर मजदूर आंदोलन से ही किया जा सकता है। जो आंदोलन संसदीय राजनीति के जाल में उलझे हुए हैं, जो चुनावी राजनीति में मौजूदा समस्याओं का हल देख रहे हैं, उनका हथ्र अंततः पूंजीपति वर्ग की सेवा में होगा। शोषण-उत्पीड़न और मौजूदा समस्याओं से मुक्ति के लिए आज पूंजीवाद-विरोध ी एक सुसंगठित, सही क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन वक्त की जरूरत है। यही ऐतिहासिक जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है।

विश्वविद्यालय का नाम बदलकर आजादी आंदोलन के इतिहास को धूमिल करने की साजिश

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा आंदोलन के नेता ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के महासचिव प्रोफेसर तरुणकांत नस्कर ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि नाम बदलने का यह फैसला देश के आजादी आन्दोलन के शहीदों और आजादी आंदोलन के इतिहास को धूमिल करने की साजिश है।

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के आजादी आंदोलन के एक महान क्रांतिकारी बरकतउल्ला भोपाली से जुड़ा है। उन्होंने आजीवन गदर आंदोलन में शामिल होकर आजादी आन्दोलन को तेज करने के लिए संघर्ष किया। 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार के गठन के बाद उन्हें उस सरकार का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया

गया। यह सरकार ही थी, जिसने पहली बार देश की आजादी के सपने और उसकी रूपरेखा को लोगों के सामने रखा था।

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह शहीदों और क्रांतिकारियों की यादों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करे ताकि वे उनके जीवन-संघर्ष से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकें। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज केन्द्र और राज्य सरकारें उन ऐतिहासिक पात्रों को समाज की याददाश्त से मिटाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित ‘राष्ट्र निर्माण’ का यही मायने है? अगर सरकार वाग्देवी या राजा भोज के नाम पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखती है, तो उन्हें उनके नाम पर नए शैक्षणिक संस्थान खोलने चाहिए। इससे शिक्षा जगत और छात्र समाज दोनों का उपकार होगा।

न्यायाधीशों व मंत्रियों के विदेशी दौरों और शाही आयोजनों पर आखिर किस अधिकार से खर्च की जा रही है जनता के खून-पसीने की कमाई?

इलाहाबाद (उ.प्र.) : अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद के संयोजक राजवेंद्र सिंह व सह संयोजक मो0 सईद सिद्दीकी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि केन्द्रीय कानून मंत्री के साथ देश के मुख्य न्यायाधीश समेत लगभग 75 न्यायाधीशों का सरकारी खर्च पर लंदन में “छुट्टियां” मनाना भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका की गरिमा और संविधान की आत्मा तीनों पर एक गंभीर आघात है। जिस समय देश की करोड़ों जनता महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा-स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है, उस समय सत्ता और न्यायपालिका के शीर्ष लोग विदेशी धरती पर सरकारी मेहमाननवाजी और विलासिता का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। यह केवल असंवेदनशीलता ही नहीं, बल्कि जनता के संघर्षों का खुला उपहास है।

प्रधानमंत्री देशवासियों को खाने का तेल कम प्रयोग करने, मितव्ययिता बरतने और विदेश यात्राओं से बचने की नसीहत देते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार जनता से वसूले टैक्स के पैसों से विदेशों में न्यायाधीशों और मंत्रियों के “पिकनिक कार्यक्रम” आयोजित कर रही है। यह दोहरे चरित्र, नैतिक पाखंड और जनता से बेरहम छल की बड़ी भद्दी मिसाल है।

अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि न्यायपालिका का दायित्व सत्ता के साथ विदेशी पर्यटन करना नहीं, बल्कि सत्ता की मनमानियों पर संवैधानिक अंकुश लगाना है। लेकिन जब कानून मंत्री और शीर्ष न्यायाधीश एक साथ विदेशी दौरों व सरकारी आतिथ्य में नजर आते हैं, तब न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है।

यही कारण है कि जनता अब यह विश्वास करने लगी है कि न्यायपालिका में सरकार की मनमानियों को रोकने का साहस कमजोर पड़ चुका है और सरकार के खिलाफ फैसले करते हुए न्याय की भावना को स्थापित करने का नैतिक बल भी क्षीण होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में झूठे मुकदमों में फंसाये गये राजनीतिक विरोधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और असहमति की आवाज उठाने वाले नागरिकों को समय पर न्याय देने में न्यायालयों की विफलता ने इस आशंका को और गहरा किया है।

संविधान व उसके मूल्यों की रक्षा करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की ऐतिहासिक

जिम्मेदारी से पीछे हटती दिखायी दे रही न्यायपालिका में बैठे अनेक लोग आज अपने संवैधानिक दायित्वों से अधिक अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं, पदलोलुपता व सरकारी विलासिता की आकांक्षाओं से संचालित होते प्रतीत हो रहे हैं। जनमानस में यह धारणा तेजी से जोर पकड़ती जा रही है कि सत्ता के साथ बढ़ती निकटता और सरकारी सुख-सुविधाओं के आकर्षण ने न्यायपालिका की नैतिक दृढ़ता को कमजोर किया है।

देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे वर्षों से लंबित हैं। गरीब आदमी तारीख पर तारीख झेलते-झेलते तबाह हो रहा है। निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन न्यायपालिका के शीर्ष पदों पर बैठे लोग विदेशी होटलों, आलीशान आयोजनों और सरकारी खर्च पर आयोजित सेमिनारों में व्यस्त हैं। यह स्थिति न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुंचा रही है।

अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद का मानना है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की यह बढ़ती सांठगांठ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। अगर न्यायपालिका सत्ता के साथ विशेषाधिकारों का उपभोग करती दिखाई देगी, तो आम नागरिक का यह विश्वास उठ जायेगा कि अदालतें सत्ता के विरुद्ध खड़े होकर संविधान व नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।

यह देश जानना चाहता है कि आखिर किस अधिकार से जनता के खून-पसीने की कमाई को न्यायाधीशों और मंत्रियों के विदेशी दौरों और शाही आयोजनों पर खर्च किया जा रहा है? क्या यही संवैधानिक नैतिकता है? क्या यही न्यायिक गरिमा है?

अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद ने इस पूरे विदेशी दौरे, उस पर हुए सरकारी खर्च और उससे जुड़े सभी निर्णयों का तत्काल सार्वजनिक खुलासा करने, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने तथा सरकारी धन से होने वाले इस प्रकार के विलासितापूर्ण आयोजनों पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की। अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद का कहना है कि अगर न्यायपालिका जनता के दुःख-दर्द से कटकर सत्ता की सहयात्री बनती जाएगी, तो यह केवल न्यायपालिका की साख का संकट ही नहीं होगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान दोनों के भविष्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा।

एक टैंकर पर अमेरिकी बमबारी में तीन भारतीय नाविकों की हत्या की एसयूसीआई (सी) ने की निंदा

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 12 जून को जारी एक बयान में कहा:

“ओमान की खाड़ी में एक टैंकर पर अमेरिकी नौसेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिकी साम्राज्यवादी नौसेना द्वारा भारतीय नौवहन के खिलाफ “घातक और जानलेवा बल” का यह इस्तेमाल एक बार

फिर दिखाता है कि कैसे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन कर रहा है।

हम अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों से इस जघन्य अपराध के लिए माफी मांगने और खाड़ी के जलक्षेत्र में पेंटगन शासकों द्वारा शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हैं। साथ ही, हम यह भी मांग करते हैं कि भारत सरकार को मृतकों के शोकसंतप्त परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए।”

तथाकथित घुसपैठियों को ‘वापस धकेलने’ की भाजपा-नीत केंद्र सरकार की नीति का एसयूसीआई (सी) ने किया कड़ा विरोध

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 15 जून 2026 को जारी प्रेस बयान में कहा :

“अंतर्राष्ट्रीय कायदे-कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन कर जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार आम लोगों को अवैध घुसपैठिए बताकर अंधेरे में बांग्लादेश वापस धकेल रही है, वह घोर निंदनीय है। कोई भी सभ्य सरकार ऐसे अलोकतांत्रिक, निर्मम और अमानवीय तरीके नहीं अपना सकती। कोई भी विदेशी नागरिक इस देश में अवैध रूप से नहीं रह सकता, लेकिन अवैध रूप से रह रहे ऐसे विदेशियों की पहचान उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिये की जानी चाहिए और उन पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें अपनी सफाई में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। यदि उचित न्यायिक प्रक्रिया से यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है, तो उस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार और संबंधित दोनों देशों के बीच आपसी वार्ता के आधार पर संबंधित देश की सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए।

हालांकि हम इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए केंद्र और राज्य पुलिस मनमाने ढंग से कुछ लोगों को गिरफ्तार

कर रही है और भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) उन्हें अंधेरे की आड़ में बांग्लादेश वापस धकेल रहा है। नतीजतन, कुछ भारतीय नागरिक भी बांग्लादेश में धकेल दिये गए हैं। यहां तक कि जब इधर बीएसएफ ऐसे लोगों को बांग्लादेश में धकेल रहा है, उधर बांग्लादेश सीमा रक्षक या तो उन्हें उस देश में प्रवेश करने से रोक रहे हैं या उन्हें वापस भारत धकेल रहे हैं। इस कारण कई असहाय लोगों को कई दिनों तक जीरो प्वाइंट पर भूखे-प्यासे और बेघर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सभी कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए पुलिस-प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का निर्णय मनमाना, पूरी तरह से अवैध और अलोकतांत्रिक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।

हम मांग करते हैं कि इस अलोकतांत्रिक और मनमानी प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और विधिवत रूप से पहचाने गए अवैध घुसपैठियों को उनके संबंधित देशों की सरकारों की सहमति से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कायदे-कानूनों का कड़ाई से पालन करते हुए उनके स्वदेश वापस भेजा जाए।

हम देश की जनता से आह्वान करते हैं कि वे उपरोक्त मांगों को माने जाने के समर्थन में पूरे देश में जोरदार आवाज बुलन्द करें।”

नीट पेपर लीक के खिलाफ एआईडीवाईओ ने किया विरोध प्रदर्शन

गुड़गांव (हरियाणा) : नीट पेपर लीक , प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एआईडीवाईओ द्वारा 7 जून को गुड़गांव के बाबा प्रकाश पुरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया।



प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन के प्रांतीय संयोजक कॉमरेड बलवान सिंह और कॉमरेड राजेश गोस्वामी ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना दिया है। वर्षों तक कठिन परिश्रम करने वाले युवाओं को बार-बार परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है।

संगठन के वरिष्ठ सदस्य इम्तियाज तथा उपाध्यक्ष कॉमरेड वजीर सिंह ने भी प्रदर्शन को संबोधित किया। वक्ताओं ने मांग की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को भंग किया जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए तथा सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर तुरंत स्थायी भर्ती की जाए और पेपर लीक और भर्ती घोटालों के दोषियों को कड़ी एवं उदाहरणमूलक सजा दी जाये।